FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जयचन्द बनाम राम सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 06 सन् 2023 2023/3[illegible]

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2023	प्रार्थी जयचन्द पुत्र स्यादा राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ डी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 54 एफ द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 101 , 111 व 112 के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे ।	
31/8/23	आज यह पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC प्रस्तुत किए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। [illegible] होकर निर्णीत होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ (श्रीगंगानगर) ★ श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:32 IST
Reason: SelfAttested